न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री बीरबल सिंह शेखावत, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 619/2019

1. सरजू देवी धर्मपत्नि श्री प्रभुलाल चौपडा
2. प्रेमदेवी धर्मपत्नि श्री रामस्वरूप चौपडा
3. राजू देवी धर्मपत्नि श्री रामप्रसाद चौपडा
4. नन्दू देवी धर्मपत्नि श्री कैलाश चौपडा

समस्त जाति जाट निवासी: चौपडा फॉर्मर्स, ग्राम गणपतपुरा, चक नंबर 1, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

---अपीलान्ट्स

बनाम

1. नीरजा मोदी पत्नि श्री विष्णु मोदी जाति महाजन निवासी: प्लॉट नंबर डी-46 बी, मालवीय नगर, सी-स्कीम, जयपुर तहसील व जिला जयपुर।
2. भैरू पुत्र किशनलाल, जाति माली, निवासी: ग्राम पीपला भरतसिंह, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

---रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 22.10.2019 उपखण्ड अधिकारी जयपुर दक्षिण जयपुर वाद संख्या 338/2019 उनवानी नीरजा मोदी बनाम सरजू व अन्य अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

एवम्

अपील संख्या : 620/2019

1. सरजू देवी धर्मपत्नि श्री प्रभुलाल चौपडा
2. प्रेमदेवी धर्मपत्नि श्री रामस्वरूप चौपडा
3. राजू देवी धर्मपत्नि श्री रामप्रसाद चौपडा
4. नन्दू देवी धर्मपत्नि श्री कैलाश चौपडा

समस्त जाति जाट निवासी: चौपडा फॉर्मर्स, ग्राम गणपतपुरा, चक नंबर 1, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

---अपीलान्ट्स

बनाम

1. नीरजा मोदी पत्नि श्री विष्णु मोदी जाति महाजन निवासी: प्लॉट नंबर डी-46 बी, मालवीय नगर, सी-स्कीम, जयपुर तहसील व जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

---रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 22.10.2019 उपखण्ड अधिकारी जयपुर दक्षिण जयपुर वाद संख्या 339/2019 उनवानी नीरजा मोदी बनाम सरजू व अन्य अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

उपस्थित:

श्री विशाल जोशी एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट्स
श्री रामजीलाल चौधरी एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स 1
श्री जी.एल. मीना एडवोकेट
राजकीय पैरोकार

निर्णय दिनांक: 17.11.2020
18.11.2020

–: निर्णय :–

1. अपीलान्ट्स की ओर से एक अपील वाद संख्या 338/2019 एवं एक अन्य अपील वाद संख्या 339/2019 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर दक्षिण जयपुर बउनवानी नीरजा मोदी बनाम सरजू देवी व अन्य में पारित प्राथमिक निर्णय डिक्री दिनांक 22.10.2019 के विरूद्व अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादिया ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी कृषि भूमि आराजीयात खसरा नंबर 253 रकबा 0.60 हैक्टेयर, खसरा नंबर 254 रकबा 0.73 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 255 रकबा 0.57 हैक्टेयर ग्राम पीपला भरतसिंह तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित है जिसमें वादिया एवं प्रतिवादीगण का हक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सानुसार निहित है। आराजीयात का आज तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है परन्तु वादिया एवं प्रतिवादी मनबट के आधार पर बंटवारा कर कृषि काश्त करते आ रहे है तथा वादिया का कब्जाकाश्त उक्त आराजीयात के दक्षिणी भाग में है। वादिया ने अपने कब्जे की आराजीयात को काफी धन व श्रम खर्च कर उपजाऊ बना रखा है तथा अपने हिस्से की भूमि की पशुओं से सुरक्षा के लिये चारो ओर तार बाउण्ड्रीवाल बनाकर अपने उपयोग उपभोग में लेती आ रही है। वादिया ने प्रतिवादी को कई बार उक्त आराजीयात का विधिवत बंटवारा करवाने के लिये कहा क्योकि बिना विधिवत बंटवारे के वादिया अपनी उक्त वर्णित आराजीयात में समुचित विकास नहीं कर सकती है क्योकि लोन व अन्य सुविधा लेने में काफी परेशानियों का सामना करना पडता है परन्तु प्रतिवादी आये दिन कोई न कोई बहाना बनाकर विधिवत बंटवारा करने से इंकार कर टालते रहते है एवं कुछ दिन पूर्व आराजीयात का बंटवारा कराने से साफ इंकार कर दिया। इस कारण वादिया को वाद पेश करना आवश्यक हुआ है। वादिया ने वाद के अन्य बिन्दुओं के साथ वाद कारण अंकित करते हुये यह अनुतोष चाहा है कि खसरा नंबर 253 रकबा 0.60 हैक्टेयर, खसरा नंबर 254 रकबा 0.73 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 255 रकबा 0.57 हैक्टेयर ग्राम पीपला भरतसिंह तहसील सांगानेर, जिला जयपुर का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर तकासमा किया जावे व लगान का निर्धारण करवाया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वाद में वर्णित विवादग्रस्त भूमि का वास्तविक विभाजन होने तक भूमि के किसी भू–भाग को अन्य को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित नहीं करे। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बहस सुनकर बाद बहस मनन अपने प्राथमिक निर्णय डिक्री दिनांक 22.10.2019 द्वारा तहसीलदार सांगानेर को आदेशित किया

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर

कि वादग्रस्त आराजीयात का उभयपक्षों की उपस्थिति में उनकी निहित खातेदारी भूमि का निहित हिस्सानुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर तकासमा कर, कुरैजात न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई, रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब होने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से यही निवेदन किया कि अपीलान्ट्स को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जवाबदावा पेश करने का कोई समुचित अवसर प्रदान नहीं किया एवं अपीलान्ट्स का पक्ष सुने बिना ही विधि विरूद्व तरीके से वादी वाद प्राथमिक डिक्री किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मनमर्जी से अपीलान्ट्स की बिना जानकारी में चुपचाप में ही रेस्पोडेन्ट्स को नाजायज लाभ प्राप्त पहुंचाने के उद्देश्य से अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। इस कारण अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.10.2019 खारिज फरमाया जावे। अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 1994 पेज 788, आर.आर.डी. 1993 पेज 100 पेश किये। वकील रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलार्थी के कथनों का खंडन करते हुये बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय डिक्री दिनांक 22.10.2019 विधि अनुसार पारित किया गया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। वाद में अभी कुरैजात आना बाकी है। प्रकरण के इस स्तर पर अपीलार्थी की यह आपत्ति विचारणीय नहीं है। अपीलार्थी ने मात्र प्रकरण मे देरी करने के उद्देश्य से अपील प्रस्तुत की है। इस कारण अपीलार्थी की अपील आधारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

4. वकील उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। बाद अवलोकन यह पाया कि वादिया/रेस्पोडेन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादग्रस्त आराजीयात के विभाजन बाबत वाद प्रस्तुत किया गया जिसमें अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 22.10.2019 को वाद प्राथमिक डिक्री किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात के समुचित अवलोकन पश्चात् पाया गया कि विवादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 253 रकबा 0.60 हैक्टेयर, खसरा नंबर 254 रकबा 0.73 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 255 रकबा 0.57 हैक्टेयर के वादीया एवं प्रतिवादीगण राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सेनुसार शामलाती खातेदार काश्तकार है। जिसके राजस्व मंडल के नियम बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विधिवत विभाजन हेतु वादिया द्वारा वाद अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रतिवादीगण/अपीलान्ट्स की ओर से बाद तामील दिनांक 20.08.2019 को अधिवक्ता बी.आर. जोशी के द्वारा अण्डरटेकिग दी गई। तत्पश्चात् पत्रावली में दिनांक 27.08.2019 को प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 की ओर से अधिवक्ता के द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत करने पर पत्रावली आगामी तारीख पेशी वास्ते जवाब नियत हुई। जिसके पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली में प्रतिवादीगण के जवाब के लिये अनेक तारीख पेशियां नियत करने के पश्चात् भी प्रतिवादीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर दिनांक 15.10.2019 को पत्रावली में प्रतिवादीगण के जवाब दावा के लिये अंतिम अवसर दिनांक 21.10.2019 को प्रदान करते हुये पत्रावली वास्ते जवाबदावा नियत की गई। पत्रावली

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

में प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 21.10.2019 को जवाबदावा प्रस्तुत नहीं करने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जवाब दावा बंद किया गया। सी.पी. सी. के आदेश 8 नियम 1 के अनुसार भी " प्रतिवादी द्वारा अपनी प्रतिरक्षा के लिखित कथन, उस पर सम्मन तामील किये जाने की तिथि से 30 दिवस के भीतर किया जाना आवश्यक है जब तक कि न्यायालय द्वारा 30 दिवस की अवधि के अतिरिक्त समय उचित कारण के आधार पर विनिर्दिष्ट या अनुज्ञात नहीं किया जावे। " इस प्रकार अपीलान्ट/प्रतिवादीगण द्वारा सम्यक तामील दिनांक 20.08.2019 से 30 दिवस की मियाद गुजरने के बावजूद भी कोई जवाबदावा या लिखित कथन प्रस्तुत नहीं किया जाना पाया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.10.2019 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद में प्राथमिक डिक्री निर्णय राजस्व मंडल के नियमों का अनुसरण करते हुये वादग्रस्त आराजीयात का विभाजन बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर पारित किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व मंडल के नियमों की पूर्ण पालना करते हुये प्राथमिक निर्णय डिक्री पारित की गई है। चूंकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय डिक्री पारित की गई है जिसमें पक्षकारान के हिस्से मात्र तय किये जाते है। इस कारण यदि अपीलान्ट्स/प्रतिवादीगण को किसी प्रकार की कोई आपत्ति है तो वह कुरैजात रिपोर्ट पर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करने के लिये स्वतंत्र है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व मंडल के नियमानुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर सभी खातेदारों को कब्जे व रास्ते की सुविधाओं को देखते हुये पक्षकारान के मध्य तकासमा किये जाने का उचित निर्णय पारित किया गया है। जिसमे मेरे द्वारा किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। फलस्वरूप अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दोनो अपीले खारिज योग्य पायी जाती हैं।

5. अतः अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत दोनो अपील खारिज कर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर (दक्षिण) जयपुर का प्रारंभिक निर्णय व डिक्री दिनांक 22.10.2019 यथावत रखा जाता है। उभयपक्षकारान अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 07.12.2020 को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होवे। पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 17.11.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17.11.2020

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर